नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच स्थित नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी आवेदन सं. सीए(सीएए) 16/एनडी/2024
से संबंधित
कम्पनी याचिका नं. सीपी(सीएए)
64/एनडी/2024
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
और
कंपनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के विषय में
तथा
एडुसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
...आवेदक कंपनी नं. 1/अंतरक कंपनी नं. 1
और
आर के सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
...आवेदक कंपनी नं. 2/अंतरक कंपनी नं. 1
और
जार्डाइन हाउसिंग फिनलीज लिमिटेड
...आवेदक कंपनी नं. 3/अंतरक कंपनी नं. 3
के साथ
रैंक एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
...आवेदक कंपनी नं. 4/अंतरिती कंपनी
और उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदारों
की समामेलन की योजना के विषय में

(अंतरक कंपनी नंबर 1 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 11 अप्रैल, 1996 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय 211, एलएससी, पॉकेट-बी अशोक विहार, फेज-3, दिल्ली-110052 में स्थित है, अंतरक कंपनी नंबर 2 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 24 जनवरी, 1995 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय 211, एलएससी, पॉकेट-बी अशोक विहार, फेज-3, दिल्ली-110052 में स्थित है, अंतरक कंपनी नंबर 3 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 30 मार्च, 2000 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय 211, एलएससी, पॉकेट-बी अशोक विहार, फेज-3, दिल्ली-110052 में स्थित है, और अंतरिती कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 22 जनवरी, 2007 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय 211, एलएससी, पॉकेट-बी अशोक विहार, फेज-3, दिल्ली-110052 में स्थित है।

याचिका की सूचना

ध्यान दें कि कंपनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अधीन **एडुसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, आर के सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जार्डाइन हाउसिंग फिनलीज लिमिटेड के साथ रैंक एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड** के समामेलन की योजना को मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए **दीपाली मित्तल तथा अमित गोयल वकीलों द्वारा** याचिका प्रस्तुत की थी और उक्त याचिका 19.07.2024 को सुनवाई के लिए आई और उक्त याचिका माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष 22 अगस्त, 2024 को सुनवाई के लिए तय की गई है।

कथित याचिका के समर्थन या निषेध के इच्छुक किसी व्यक्ति को अपने आशय का नोटिस, स्वयं या उसके वकील द्वारा नाम व पते के साथ याचिका की सुनवाई के लिए निश्चित तिथि से 2 (दो) दिन पूर्व याचिकाकर्ता वकील को पहुंच जानी चाहिए। जहां, वह याचिका का विरोध करना चाहता है, निषेध के कारणों या उसके शपथपत्र की प्रति को ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति के इच्छुक किसी व्यक्ति को उसके के लिए निर्धारित प्रभारों की अदायगी पर प्रदान की जाएगी।

तिथि: 26.07.2024 ह./-
स्थान: नई दिल्ली **दीपाली मित्तल व अमित गोयल,**
याचिकाकर्ताओं के वकील,
बी 45-46, **द्वितीय तल, पांडव नगर,**
दिल्ली-110092 **मो. नं.** 9810122373,
9810826436
ई-मेल: Deepalimittal171@gmail.com

शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस क.लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 425, उद्योग विहार फेज-IV, गुड़गाँव-122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, **ई-मेल:** customercare@shubham.co **वेबसाईट:** www.shubham.co

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002
(यहाँ के बाद "अधिनियम" विदित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर **शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608-609, छठा तल, ब्लॉक सी, अंसल इम्पेरियल टावर कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 में है (यहां के बाद 'एसएचडीएफसीएल' वर्णित) के द्वारा आपकी ऋण खाता को एनपीए घोषित कर दिया गया है तथा आप एसएचडीएफसीएल को अपकी खाता में बकाया सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। साथ ही आप अनुषांगिक खर्चे, चार्जेज आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर एसएचडीएफसीएल को देय अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा एसएचडीएफसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा। ऋणधारकों तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	ऋण खाता सं. ऋणधारक का नाम	आवेदक का पता	मांग सूचना राशि एवं तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति
1.	**0MDG1808000005014346, मोह. जाबेद नाजिया खान**	951, भूतल, अर्जुन नगर, नेहरू रोड, कोटला मुबारकपुर, निकट ओपी ईजी डे, नई दिल्ली- 110003	रू. 11,31,235/- एवं 20.07.2024	**लालडोरा गाँव मेहरौली, नई दिल्ली-** 110030 की आबादी में स्थित तीसरा तल, छत के अधिकार के बिना; सम्पत्ति सं. 705 ए-11, वार्ड नं. 3, खसरा नं. 1151/3 मिन
2.	**0PRV2209000005052305,** राम सरूप, मालती	मकान नं. 116 बी, बागवती नं. 6 ए, उत्तम नगर, मेट्रो पिलर नं. 771, वेस्ट दिल्ली-110059	रू. 14,00,238/- एवं 20.07.2024	प्लॉट नं 108, प्रथम तल, छत के अधिकार के बिना, खसरा नं 343 में, ग्राम नवादा माजरा हस्तसाल, सिधात्री एन्क्लेव, गली नं. 5, **भगवती गार्डन, उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली** 110059
3.	**0MBD2311000005073340,** रेणु कुमारी, रामचरण	पत्नी रामचरण, भलेवाज खा, निकट मकबरा पोस्ट सरायतरीन खा सम्भल उत्तर प्रदेश-244303	रू. 10,60,164/- एवं 20.07.2024	अर्जी नं. 283 ए, तथा 283 बी का भाग, हयात नगर, मौजा अजीजपुर असदपुर बाहर चूंगी, **तहसील एवं जिल्ला सम्भल, मोरादाबाद (भीम नगर), उत्तर प्रदेश-244303**
4.	**0SHD2304000005062182,** रीना, मुनेशलाल	डी-27, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, साई बाबा मंडी, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली- 110095	रू. 13,41,275/- एवं 20.07.2024	आवासीय कॉलोनी डीएलएफ, दिलशाद एक्स्टें, सैकण्ड, **ग्राम बहरामपुर, ऊर्फ भोपुरा, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश** -201102 में स्थित छत के अधिकार के साथ तीसरा तल, एलएचएस, टी-3 जो आवासीय प्लॉट नं. सी-1/11, ब्लॉक सी में निर्मित है।
5.	**0PRV2212000005055329,** फकरूदीन, उस्सू	प्लॉट नं. 57, आकाश विहार डासना, प्राईमरी स्कूल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009	रू. 6,64,102/- एवं 20.07.2024	खसरा नं. 126 में मकान नं. 57, ग्राम डासना, **परगणा डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-**201302

स्थान: गुड़गाँव **प्राधिकृत अधिकारी,**
तिथि: 26.07.2024 **शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लि.**

Aro granite industries ltd.

(100% Export Oriented Unit)
CIN : L74899DL1988PLC031510
Regd. Office : 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110025
Ph. : 011-41686169, **Fax :** 011-26941984, **Email :** investorgrievance@arotile.com, **Website :** www.arotile.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

(Rs. in lacs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	3,873.67	15,547.23	5,202.39
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	14.95	340.24	223.86
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.95	340.24	223.86
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	75.43	131.40	132.29
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	75.43	131.40	132.29
6	Paid up Equity Share Capital	1,530.00	1,530.00	1,530.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		17,672.41	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1. Basic:	0.54	0.89	0.89
	2. Diluted:	0.54	0.89	0.89

Note :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s), www.bseindia.com, and www.nseindia.com and the Company's website www.arotile.com.

For & on behalf of the Board
-Sd-
Sunil Kumar Arora
Managing Director
DIN 00150668

Place : HOSUR
Date : 26.07.2024

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
कन्टूर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एम 304, पालम अपार्टमेन्ट्स, बिजवासन, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत-110061 में है, आवेदक के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली " से " हरियाणा राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 11.07.2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: एम 304, पालम अपार्टमेन्ट्स, बिजवासन, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत-110061

कृते एवं के लिए, कन्टूर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
प्रशान्त कुमार
तिथि: 26-07-2024 **निदेशक,**
स्थान: दिल्ली **DIN:** 01180579

कब्ज़ा-सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं) को मांग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ताओं को उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनो के अंदर उक्त सूचनाओं में निम्न तालिका में वर्णित संबंधित नामों के समक्ष अंकितानुसार राशि का राशि पर प्रयोज्य दरों पर आकलित ब्याज और भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उपगत प्रयोज्यानुसार भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

क्रं सं.	ऋण संख्या	ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2)नोटिस दिनांक/ निम्न के अनुसार बकाया देय (रु. में)	दिनांक/समय एवं कब्ज़ा का प्रकार
1.	**45289440000256 एवं 45289670000384**	1) श्री बलवान, पुत्र सेवा (उधारकर्ता) अब दिवंगत, उनके पत्नियाँ श्रीमती बिमला, पत्नी बलवान (श्री बलवान की पत्नी), 2) श्रीमती बिमला (गारंटर)	28.03.2024 दिनांक 26.03.2024 तक रु.2,22,086/- (रुपये दो लाख बाईस हजार और छियासी मात्र)	दिनांक- 25.07.2024 समय- पूर्वाह्न 10:54 बजे, प्रतीकात्मक कब्ज़ा
	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण: संपत्ति का विवरण: ग्राम आसन खुर्द डीसीएम एसआर.एसईसी स्कूल के पास, तहसील मडलौडा जिला- पानीपत, हरियाणा-132105 में स्थित भूमि माप 171 वर्ग गज या 5 मरला 6 सरसई, खसरा नंबर 100-101, खतौनी नंबर 121-122, मुरबा 50 किला नंबर 24/2/1/2(1-4), 24/2/2/2(1-19), 25/2/1(0-11), 25/2/2(1-16) किते 4 रकबा 5 कनाल 10 मरला भाग बकदर रकबा 5 मरला 6 सरसाई यानी 171 वर्ग गज है। श्रीमती बिमला, पत्नी बलवान के स्वामित्व में हैं। इसकी सीमा इस प्रकार है: दक्षिण: सड़क, उत्तर: ड्रेन जेल, पूर्व: अन्य संपत्ति स्वामी, पश्चिम: अन्य संपत्ति स्वामी।			
2.	**32069410000037 एवं 32069630000047**	1) श्री कृष्ण,पुत्र माईचंद (आवेदक), 2) श्री दीपक, पुत्र कृष्ण (सह-आवेदक), 3) श्रीमती रोशनी, पत्नी कृष्ण (सह-आवेदक), 4) श्री देसराज, पुत्र कृष्ण (सह-आवेदक)	24-04-2024 दिनांक 22-04-2024 तक रु.14,53,077/- (केवल चौदह लाख तिरपन हजार सतहत्तर रुपये)	दिनांक- 25.07.2024 समय- पूर्वाह्न 08:25 बजे, प्रतीकात्मक कब्ज़ा
	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण: संपत्ति विवरण: वर्ष जमाबंदी 2017-2018 के लिए सोनीपत जिला राई गांव पलरी खुर्द में स्थित प्लॉट/दुकान 121 वर्ग गज यानि 4 मरला तफसील (1)2 मरले यानि 60.5 वर्ग गज भाग 1/38 कुल संपत्ति जराई 3 कनाल 16 मरले ,खेवट नंबर 113, खाता नंबर 131, रेक्ट और किला नंबर 17//17/1=3-16(2) 2, मरले यानि 60.5 वर्ग गज भाग 1/38 कुल संपत्ति जराई 3 कनाल 16 मरले खेवट नंबर 114 खाता नंबर 132 मुस्टिल और किला नंबर 17//17/2=3-16 है। श्री कृष्ण, पुत्र माईचंद के स्वामित्व में है। सीमा: पूर्व: सुरेश का प्लॉट, पश्चिम: सत लाल का प्लॉट, उत्तर: बागपत रोड, दक्षिण: रोशनी का प्लॉट।			

चूंकि यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं)/गारंटरों/बंधककर्तागणों निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें उपरोक्त विवरणित संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उपराकित तिथियों पर **प्रतीकात्मक कब्ज़ा** कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं/सह-ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उपर्युक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन-देन न करें तथा उक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, जना **स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

स्थान : हरियाणा **हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 27-07-2024 **कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय :- द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071, शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक महारत्न कंपनी)
पंजी. कार्यालय "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, भारत
दूरभाष: +91-11-23456000 फैक्स: +91-11-23512545
ईमेल-आईडी: investorsgrievance@pfcindia.com वेबसाइट: www.pfcindia.com
सीआईएन:- L65910DL1986GOI024862

सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए आयोजित की जाएगी। यह बैठक एमसीए के दिनांक 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र और सेबी के दिनांक 7 अक्तूबर, 2023 तथा अन्य लागू अधिसूचनाओं के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।
2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों के पास केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 38वीं एजीएम में शामिल होने एवं भाग लेने तथा एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय की मदों पर एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने का अवसर होगा। रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम और एजीएम में उपस्थित होने के लिए विस्तृत अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे।
   38वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.pfcindia.com** और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
3. डिमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उनके डिमैट खातों को मेन्टेन करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास अपने ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर तथा बैंक विवरण (लाभांश का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्राप्त करने के लिए) अपडेट करवाएं।
   भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास आईएसआर-1 फॉर्म भेजकर अपने ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं। उक्त फॉर्म आरटीए वेबसाइट - इन्वेस्टर सपोर्ट सेंटर (आईएसी) पर वेबपेज **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx** से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
4. शेयरधारक कृपया नोट करें कि निदेशक मंडल ने 15 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (टीडीएस कटौती के अध्यधीन) की सिफारिश की थी जो कि यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो उसे 20 सितंबर 2024 को या उसके पहले उन सदस्यों या उनके मैंडेट्स को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में 26 जुलाई, 2024 (रिकॉर्ड तारीख) को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, लाभांश शेयरों का उन "लाभार्थी स्वामियों" को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 26 जुलाई, 2024 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में शामिल होंगे।
5. अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक विवरण अपडेट करवा दिए हैं। ऐसे भौतिक शेयरधारकों के लिए जिनके फोलियो नामांकन विकल्प (जैसे, पैन, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर, यदि कोई हो) को छोड़कर केवाईसी विवरण के साथ अपडेट नहीं है, तो वे ऐसे फोलियो के संबंध में केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश सहित किसी भी भुगतान के लिए पात्र होंगे। तदनुसार, यदि उनकी धारिता (होल्डिंग) के अधीन केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया गया है, तो उनकी होल्डिंग के निमित्त देय लाभांश रोका जा सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए वे अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डिमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित हैं) के पास एवं कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (यहां शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) के पास अपना केवाईसी अपडेट करवाएं।
6. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान पर कर योग्य होगी और कंपनी को सदस्यों को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांशों के संबंध में टीडीएस अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) या भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी/आरटीए के पास वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी/15एच जमा करें और आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को अपडेट कराएं जिससे भविष्य में कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान करते समय लागू दरों एवं आवासीय स्थिति के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, की कटौती की जाए।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी की 38वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 16 अगस्त, 2024 से 21 अगस्त, 2024 तक (दोनों दिवस सहित) बंद रहेंगे।
8. किसी भी जानकारी के लिए आप केफिनटेक की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए सुश्री स्वाति रेड्डी (यूनिट: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से **einward.ris@kfintech.com** एवं **evoting@kfintech.com** पर संपर्क कर सकते हैं या केफिनटेक के टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते एवं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से
हस्ता/-
स्थान: नई दिल्ली **(मनीष कुमार अग्रवाल)**
दिनांक: 26 जुलाई, 2024 **कंपनी सचिव**

(Continued from previous page...)

section titled *"Risk Factors"* beginning on page 27 of this Red Herring Prospectus and the financials of our Company including important profitability and return ratios, as set out in the chapter titled *"Restated Financial Statements"* beginning on page 165 of this Red Herring Prospectus.

Investors should read the above-mentioned information along with section titled *"Our Business"*, *"Risk Factors"* and *"Restated Financial Statements"* beginning on page 110, 27 and 165 respectively including important profitability and return ratios, as set out in chapter titled *"Other Financial Information"* on page 166 of the Red Herring Prospectus to have a more informed view.

Our Company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Biding Date shall be one Working Day prior to the Bid /Issue Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of One Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(I) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 (1) and 253 of the SEBI ICDR Regulations, the issue is being made for at least 25% of the post issue paid up equity share capital of our company. The issue is being made through the book building process wherein not more than 50% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance equity shares shall be added to the QIB Category. 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion (excluding Anchor Investor Portion), the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBs using UPI Mechanism), in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see *"Issue Procedure"* on page 218 of the Red Herring Prospectus.

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/ Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders /Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see *"History and Corporate Structure"* on page 141 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 271 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The Liability of the members of the Company is Limited.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorized share capital of the Company is ₹13,00,00,000 divided into 1,30,00,000 Equity Shares of ₹ 10/ each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 6,57,90,000 divided into 65,79,000 Equity Shares of ₹10/ each. For details